छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2023 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार,दिनांक 19 जुलाई, 2023 (आषाढ़ 28,1945)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री रविन्द्र चौबे, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री रविन्द्र चौबे, पशुधन विकास मंत्री, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (क्रमांक 52 सन् 1984) की धारा 65 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक–एफ 8–78/35/2022, दिनांक 29 मार्च, 2023 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक–एफ 07–24/2018/32, दिनांक 2 मई, 2023 पटल पर रखेंगे।

(4) श्रीमती अनिला भेंडिया, समाज कल्याण मंत्री, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 101 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक–एफ 7–58/2018/26, दिनांक 16 मई, 2023 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2023 पटल पर रखेंगी।

(5) श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक–एफ 4–7/सात–1/2022, दिनांक 29 मार्च, 2023 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ नगरेत्तर क्षेत्रों में शासकीय पट्टे पर आबंटित कृषि भूमि के भूमिस्वामी अधिकार नियम, 2023 पटल पर रखेंगे।

3. मार्च, 2023 सत्र के समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

क्रमशः 2

4. मार्च, 2023 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

5. नियम 267—क के अधीन मार्च, 2023 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

7. सभापति तालिका की घोषणा

8. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री चंदन कश्यप, सदस्य, नारायणपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड बस्तर के लघु वनोपज सहकारी समिति बनियागांव के प्रबंधक द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, मुंगेली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न ग्रामों की सड़कें जर्जर होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक— 86, जगदलपुर के सदस्य, श्री रेखचंद जैन को जुलाई, 2023 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

10. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री अजय चंद्राकर, सभापति, लोक लेखा समिति का एक सौ उनतीसवां से एक सौ चालीसवां तक 12 प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) श्री अरूण वोरा, सभापति, याचिका समिति का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य, धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत —

(i) ग्राम रांवा में मिनी स्टेडियम निर्माण करने,

(ii) धमतरी में रूद्री गंगरेल मार्ग से शासकीय कन्या महाविद्यालय तक स्ट्रीट लाईट एवं मार्ग का चौड़ीकरण एवं पुलिया निर्माण करने,

(iii) ग्राम सम्बलपुर से परेवाडीह मार्ग का डामरीकरण करने,

क्रमशः 3

(iv) ग्राम रूद्री से बरारी मार्ग का डामरीकरण करने,

(v) ग्राम छाती से झुरानवागांव मार्ग का डामरीकरण करने,

(vi) ग्राम उड़ेना से झिरिया मार्ग में पुलिया निर्माण करने,

(vii) भटगांव में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में स्टेनो हिन्दी एवं डीजल मेकेनिक ट्रेड प्रारंभ करने,

(viii) नगर पंचायत आमदी के हायर सेकेण्डरी स्कूल में अहाता निर्माण करने,

(ix) ग्राम सेमरा में देवरी नाले पर स्टापडेम निर्माण करने,

(x) नगर पंचायत आमदी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एंबुलेंस सुविधा उपलब्ध करने,

(2) श्री चंदन कश्यप, सदस्य, नारायणपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दण्डवन में धान खरीदी केन्द्र खोलने तथा

(3) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरवानी के हायर सेकेण्डरी स्कूल में अहाता निर्माण करने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

12. वित्तीय वर्ष 2023–2024 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, वित्तीय वर्ष 2023–2024 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे।

13. मंत्रि–मंडल में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक,2023 (क्रमांक 11 सन् 2023) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक,2023 (क्रमांक 12 सन् 2023) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(3) श्री जयसिंह अग्रवाल, वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) मंत्री, भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 13 सन् 2023) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

क्रमशः 4

15. वित्तीय वर्ष 2023–2024 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

निर्धारित समय

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या – 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 79, 80, 81 एवं 82 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर **छः हजार इकतीस करोड़, पचहत्तर लाख, दो हजार, नौ सौ सतहत्तर रूपये** की अनुपूरक राशि दी जाये।

3 घंटे

16. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक–3) विधेयक, 2023 (क्रमांक 14 सन् 2023) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

दिनेश शर्मा,
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 18 जुलाई, 2023